**राजस्थान सरकार**

**निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान जयपुर**

क्रमांक : अराज / सामान्य / 2017 /                                   दिनाँक :

# आदेश

निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, राजस्थान जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक 982–84 दिनाँक 12.07.2017 के द्वारा श्री चितवन बंसल, लिपिक श्रेणी द्वितीय को निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर में 'अग्रिम आदेश की प्रतीक्षा में' भिजवाया गया था। जिस पर निदेशालय के समसंख्यक पत्रांक 1066 दिनाँक 18.07.2017 के द्वारा उक्त आदेश में श्री बंसल को कार्यमुक्त किये जाने के कारणों का उल्लेख नही होने के कारण का कार्मिक को पुनः लौटाया गया हैं।

उक्त कार्यवाही के उपरान्त निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई द्वारा उनके पत्रांक 1060 दिनाँक 24.07.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि कार्मिक के द्वारा स्वंय की सेवा पुस्तिका में कांट–छांट करना, देय आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश लेना, राजकीय कार्य के प्रति रूचि नही रखना, प्रभारी अधिकारी के साथ अशोभनीय व्यवहार करना इत्यादि कारणों से 'अग्रिम आदेश की प्रतीक्षा में' किया गया था।

अतः श्री चितवन बंसल, लिपिक श्रेणी द्वितीय जिन्होने निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर में 'आदेशों की प्रतीक्षा में' अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की थी तथा निदेशालय द्वारा इन्हे पुनः उनके मूल पदस्थापन हेतु लौटाया गया हैं, में आंशिक संशोधन करते हुये श्री बंसल का पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के अधीन लिपिक श्रेणी द्वितीय के रिक्त पद पर किया जाता हैं।

Sd/-

**( राकेश शर्मा )**
**अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)**
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,**
**राजस्थान जयपुर**

क्रमांक : अराज / सामान्य / 2017 / 1131                                   दिनाँक : 04-08-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, राजस्थान जयपुर को उनके पत्रांक 1060 दिनाँक 24.07.2017 के क्रम मे प्रेषित कर लेख हैं कि कार्मिक के राजकीय कार्य के प्रति अरूचि, सर्विस रेकार्ड में छेडछाड इत्यादि प्रकरणों में इनके विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत ड्राफ्ट चार्ज शीट मय अभिलेख के प्रेषित करें।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, कोटा सभांग।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी।
7. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी भ्रमणशील शल्य इकाई, कोटा।
8. प्रशासनिक अधिकारी, अराजपत्रित / गोपनीय (अराज.) अनुभाग, मुख्यालय।
9. श्री चितवन बंसल, लिपिक श्रेणी द्वितीय द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
10. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
11. आदेश / रक्षित पत्रावली।

**अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)**
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,**
**राजस्थान जयपुर**

J.Gaur